न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 92/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला, प्रवर्तन अधिकारी
   बनाम
   श्री रामनिवास गुर्जर पुत्र श्री कैलाश चंद गुर्जर निवास ढाणी अदवाली, मंढा जिला जयपुर, थाना प्रागपुरा वाहन चालक पिकअप नंबर आरजे–32–जी–2591
4. निर्णय दिनांक : 08.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री प्रदीप यादव अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर ग्रमीण श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 16.07.2015 को पुलिस थाना कोटपूतली द्वारा वाहनों की चैकिंग के दौरान पिकअप नंबर आरजे–32–जी–2591 में ड्रमों में डीजल तथा जरीकेनों में पेट्रोल भरा मिला। चालक द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं देने पर पुलिस द्वारा वाहन को मय डीजल व पेट्रोल के डिटेन कर थाने ले जाया गया। तत्पश्चात सूचना मिलने पर प्रार्थी द्वारा मय जांच दल के पुलिस थाना कोटपूतली पंहुचकर डिटेन्ड वाहन की जांच की गयी। वाहन में मिले 12 ड्रमों में भरे डीजल में कुल 2400 लीटर डीजल व 6 जरीकेनों में कुल 90 लीटर पेट्रोल को जब्त किया। मौके पर चालक ने उक्त पेट्रोल व डीजल के कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाये ना ही वाहन के दस्तावेज दिखाये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई. आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 23.07.2015 को अधिवक्ता श्री प्रदीप यादव ने अप्रार्थी को ओर से उपस्थिति दी। अप्रार्थी ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 03.08.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थी/अधिवक्ता ने आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 08.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 16.07.2015 को जब्त पेट्रोल व डीजल को क्रय करने संबंधी दस्तावेज अप्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि हरियाणा में पेट्रोल व डीजल की दर राजस्थान से कम होने के कारण वह उक्त पेट्रोल व डीजल गांव के लोगों को बेचने के लिए जा रहा था। प्रकरण में जब्त पेट्रोल व डीजल के क्रय–विक्रय से संबंधित दस्तावेज के तौर पर एचपी पेट्रोल पम्प कोटपूतली नारनौल रोड के 4 बिल 400–400 लीटर के एवं 1 बिल 500 लीटर डीजल का पेश किया है जो बाद में पेश किये गये हैं वरवक्त जांच पेश नहीं किये गये है जो संदेहास्पद है। वाहन चालक की पेट्रोल व डीजल को हरियाणा से लाकर गांव मे बेचने की स्वीकारोक्ति से उक्त जब्त पेट्रोल व डीजल की कालाबाजारी किया जाना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में दिनांक 16.07.2015 की कार्यवाही के दौरान जब्त 2397.750 लीटर डीजल(सेम्पल लेने के पश्चात) मय 12 ड्रम, 87.750 लीटर पेट्रोल(सेम्पल लेने के पश्चात) मय 6 जरीकेन तथा इनके अवैध परिवहन में काम में ली जा रही पिकअप नंबर आरजे–32–जी–2591 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जयपुर को निर्देश दिये जाते है कि आदेशानुसार जब्त सामग्री को राजसात कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate

(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।